न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम–मुकुट सिंह , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या–10/2024

दर्ज तिथि–14/02/2024

प्रार्थी

1.अंजना जयसवाल पत्नी श्री विष्णु जयसवाल जाति कलाल निवासी प्लाट नम्बर 13 तानाजी मार्ग शिवाजी नगर ब्रहम्पुरी रोड जयपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर. एक्ट, 1956

निर्णय — दिनांक 12/06/2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर प्रार्थीगण की खातेदारी एवं काश्त की भूमि खसरा संख्या 337 रकबा 0.0379 है0. खसरा नम्बर 342 रकबा 0.2403 है0 वाके ग्राम लालगढ़ पटवार हल्का लालगढ़ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लालगढ़ तहसील बस्सी जिला जयपुर द्वारा किये गये सीमाज्ञान दिनांक 02.07.2023 के अनुसार पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश चाहा है। पत्रावली पर एकमात्र अप्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी का जवाब प्राप्त है अप्रार्थी तहसीलदार बस्सी ने अपने जवाब दिनांक 14.05.2024 में खसरा नम्बर 337 रकबा 0.0379 है0. खसरा नम्बर 342 रकबा 0.2403 है0 वाके ग्राम लालगढ़ पटवार हल्का लालगढ़ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लालगढ़ तहसील बस्सी जिला जयपुर प्रार्थी के खातेदारी में स्वीकार होना व विवादित आराजियत की सिमायें स्पष्ट की है तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 02.07.2023 को किये गये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी करने पर कोई आपत्ति नहीं है अतः तहसीलदार की सीमाज्ञान रिपोर्ट 02.07.2023 के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम सीमाज्ञान धारा 111 में विहित रिति से किये जाने का प्रावधान है। धारा 111 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सीमाज्ञान वर्तमान सर्वेक्षण मैप के आधार पर किया जावेगा। ग्राम लालगढ़ के सर्वेक्षण मैप में खसरा नम्बर 337 रकबा 0. 0379 है0. खसरा नम्बर 342 रकबा 0.2403 है0 वाके ग्राम लालगढ़ पटवार हल्का लालगढ़ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लालगढ़ तहसील बस्सी जिला जयपुर कि सीमाऐ स्पष्ट है। अप्रार्थी तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी कि विवादित भूमि ग्राम लालगढ़ पटवार हल्का लालगढ़ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लालगढ़ तहसील बस्सी, का सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह प्रार्थी के खर्चे पर मुताबिक धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावाधानो अनुसार एवं सीमाज्ञान दिनांक 02.07.2023 के अनुसार कायम करने हेतु हेतु संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एवं उस भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र के तीन पटवारीगणों की संयुक्त टीम गठित की जाकर यदि मौंके पर कानुन व्यवस्थार्त पुलिस जाप्ता की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाना से पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त कर न्यायालय हाजा के आदेश की पालना नियमानुसार करें।

उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर

यहां यह स्पष्ट है कि यह आदेश केवल सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह कायम करने हेतु है इस आदेश की पालना में किसी भी पक्ष को जबरन बेदखल कर दुसरे पक्ष को कब्जा न दिलाया जावें। आदेश की प्रति तहसीलदार बस्सी को पालनार्थ भेजी जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मुकुट सिंह)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

यह आदेश आज दिनांक 12/06/2024 को सुनाया गया।

(मुकुट सिंह)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर